**गोपनीय**

# राजस्थान विधान सभा

## पंचम सत्र

## कार्य-सूची

## मंगलवार, दिनांक 22 सितम्बर, 2015

## बैठक का समय-प्रात: 11.00 बजे

### 1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे।

### 2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

### (क) अधिसूचनाएं

**(I)** श्री रामप्रताप, जल संसाधन मंत्री निम्नाकिंत अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखेंगे:-

1. अधिसूचना संख्या एफ7(9)ओएसडी/एसडब्ल्यूआरपी/14-1 दिनांक 11.5.2015 जिसके द्वारा राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना अधिनियम 2015 प्रवृत्त किया गया है।
2. अधिसूचना संख्या एफ7(9)ओएसडी/एसडब्ल्यूआरपी/14-2 दिनांक 11.5.2015 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य जल संसाधन सलाहकार परिषद का गठन किया गया है।
3. अधिसूचना संख्या एफ7(9)ओएसडी/एसडब्ल्यूआरपी/14-3 दिनांक 11.5.2015 जिसके द्वारा राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना प्राधिकरण की स्थापना की गई है।
4. अधिसूचना संख्या एफ7(9)ओएसडी/एसडब्ल्यूआरपी/14-4 दिनांक 11.5.2015 जिसके द्वारा राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना प्राधिकरण के सभापति की नियुक्ति की गई है।
5. अधिसूचना संख्या एफ7(9)ओएसडी/एसडब्ल्यूआरपी/14-5 दिनांक 11.5.2015 जिसके द्वारा सचिव, जल संसाधन और राज्य जल संसाधन योजना विभाग को राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना प्राधिकरण का पदेन आयुक्त नियुक्त किया गया है।
6. अधिसूचना संख्या एफ13/आरआरबी एण्ड डब्ल्यूआरपीए/2015-1 दिनांक 6.8.2015 जिसके द्वारा राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना प्राधिकरण नियम 2015 विरचित किये गये है।
7. अधिसूचना संख्या एफ13/आरआरबी एण्ड डब्ल्यूआरपीए/2015-2 दिनांक 21.8.2015 जिसके द्वारा शुद्धि-पत्र जारी किया गया है

**(II)** श्री युनूस खान, परिवहन मंत्री अधिसूचना संख्या प6(75)परि/कर/ मु./08/18094 दिनांक 14.9.2015 जिसके द्वारा दिनांक 15.9.2015 से 28.9.2015 तक की अवधि में अन्य राज्यों से रामदेवरा आने जाने वाले यात्री वाहनों के लिये कर में सशर्त छूट प्रदान की गई है।

### (ख) प्रतिवेदन

**(I)** श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री निम्नांकित प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे:-

1. वर्ष 2015-16 के लिए पंचम राज्य वित्त आयोग राजस्थान का अंतरिम प्रतिवेदन एवं उस पर की गई कार्यवाही विवरण का ज्ञापन;
2. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (आर्थिक क्षेत्र); एवं
3. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (स्थानीय निकाय)

**(II)** श्री अरूण चतुर्वेदी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 65 के अन्तर्गत आयुक्तालय विशेष योग्यजन राजस्थान का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 सदन की मेज पर रखेंगे।

## 3. कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार

श्री कालूलाल गुर्जर, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के बीसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि -

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के बीसवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ।"

## 4. राज्य में सूखे एवं बिजली की स्थिति पर विचार

राज्य में सूखे एवं बिजली की स्थिति पर विचार होगा तथा राज्य सरकार की ओर से उत्तर दिया जाएगा।

## 5. विधायी कार्य

## विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

### (I) राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2015

**(I)** श्री राजेन्द्र राठौड, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय:-

राजस्थान विधियां निरसन विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्या-33)

"कतिपय विधियों का निरसन करने के लिए विधेयक ।"

**(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)**

**(II)** प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय।

### (II) राजस्थान भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2015

**(I)** श्री राजेन्द्र राठौड, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय:-

राजस्थान भारतीय चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्या-39)

"राजस्थान भारतीय चिकित्सा अधिनियम, 1953 को और संशोधित करने के लिए विधेयक ।"

**(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)**

**(II)** प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

**(III) राजस्थान विशेष पिछडा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015**

**(I)** श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय:-

राजस्थान विशेष पिछडा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्या-38)

"विशेष पिछडे वर्गों की प्रोन्नति और उत्थान के लिए राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक।"

**(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)**

**(II)** प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय।

**(IV) राजस्थान आर्थिक पिछडा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015**

**(I)** श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगी कि निम्नांकित विधेयक को विचारार्थ लिया जाय:-

राजस्थान आर्थिक पिछडा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्या-37)

"आर्थिक रूप से पिछडे वर्गों के लिए राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण और उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए विधेयक।"

**(संशोधन प्रस्ताव यदि कोई होंगे तो प्रस्तुत किये जायेंगे)**

**(II)** प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय।

## 6. शासकीय संकल्प

श्री गुलाब चन्द कटारिया, गृह मंत्री निम्नांकित संकल्प विचार एवं पारण हेतु प्रस्तुत करेंगे ।

**(I)** यह सदन सर्वसम्मति से राजस्थान प्रदेश के कतिपय पिछडे वर्गों अर्थात बंजारा/बालदिया/लबाना, गाडिया लोहार/गाडोलिया, गूजर/गुर्जर, राईका/रैबारी/ देबासी, गडरिया/गाडरी/गायरी के शैक्षिक और सामाजिक रूप से अत्यधिक पिछडे होने को दृष्टिगत रखते हुए संकल्प करता है कि राजस्थान सरकार ''राजस्थान विशेष पिछडा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015'' को संविधान के अनुच्छेद 31ख के अंतर्गत संविधान की नवीं अनुसूची में सम्मिलित करवाने के लिए भारत सरकार से आग्रह करें।

**(II)** यह सदन सर्वसम्मति से राजस्थान प्रदेश के अनारक्षित प्रवर्गों के सर्वाधिक गरीब वर्ग की विशेष परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए संकल्प करता है कि राजस्थान सरकार ''राजस्थान आर्थिक पिछडा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक, 2015'' को संविधान के अनुच्छेद 31ख के अंतर्गत संविधान की नवीं अनुसूची में सम्मिलित करवाने के लिए भारत सरकार से आग्रह करें।

## 7. वित्तीय कार्य

## अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2015-2016 पर मतदान एवं पारण

अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2015-2016 (प्रथम संकलन) मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान हेतु प्रस्तुत की जाएंगी ।

## 8. विधायी कार्य

## विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण

## राजस्थान विनियोग (संख्या-5) विधेयक, 2015

**(I)** श्रीमती वसुन्धरा राजे, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी:-

राजस्थान विनियोग(संख्या-5) विधेयक, 2015
(2015 का विधेयक संख्या-35)

"वित्तीय वर्ष 2015-2016 की सेवाओं के लिए राज्य की समेकित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक।"

**(II)** प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगी।

**(III)** प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

**(IV)** प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक को पारित किया जाय।

**पृथ्वी राज**
**विशिष्ट सचिव**

**विधान सभा भवन,**
**जयपुर**
**दिनांक 21 सितम्बर, 2015**